हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 65/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2022		

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अपीलार्थी दरजाराम पुत्र आलाजी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी उपस्थित। अप्रार्थी धनाराम पुत्र उनाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– सियाकरा, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री पदमाराम चौहान उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2022 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 अर्न्तगत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 19.9.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी को सफल होने की पूर्ण आशा है। यह कि अपीलाधीन निर्णय के द्वारा तहसीलदार, सिरोही ने अपीलार्थी को जिस भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है उस भूमि पर प्रार्थी अपीलार्थी का शुरु से ही शांतिपूर्वक निर्बाध रुप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि के मौके पर अप्रार्थी धनाराम का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही अपीलार्थी ने अप्रार्थी धनाराम की खातेदारी भूमि पर कोई अतिक्रमण किया है। मौके पर अपीलार्थी दरजाराम व अप्रार्थी धनाराम की खातेदार भूमि के मध्य माट बनी हुई है व बडे बडे पेड खडे है एवं अपीलार्थी ने दरजाराम की भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अप्रार्थी धनाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में यह अंकित किया है कि जीपीएस से पैमाईश की तो प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की आराजी के खसरा संख्या 95 के कुछ भूमि पर पडौसी खातेदार यानि खसरा संख्या 93 के खातेदार दरजाराम का कब्जा पाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अप्रार्थी धनाराम की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। भूप्रबन्ध के दौरान ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर की कृषि भूमि का मौके पर कब्जे के विपरित रेकर्ड में गलत तरमीम करने से यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है जो भूप्रबन्ध से पूर्व एवं बाद के राजस्व नक्शें से स्पष्ट है। वर्तमान खसरा संख्या 93, 94 व 95 के भूप्रबन्ध से पहले के खसरा नम्बर 26 थे जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में खसरा संख्या 94 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही होने के बावजूद अधनीस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा संख्या 94 व 95 कुल भूमि 2.2600 हेक्टेयर में [illegible] अतिक्रमण बताया है। हल्का पटवारी की रिपो[illegible] अंकन नही किया गया है कि खसरा [illegible] अतिक्रमण किया है। यह कि अधीनस्थ [illegible] ने हल्का पटवारी के

......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:46 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 65 / 2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	बयान नही लिये है व न ही अडौस–पडौस के खातेदारों के बयान लिये है ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 95 की भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण साबित नही होता है। अपीलाधीन निर्णय की आड में अपीलार्थी को दिनांक 19.10.2022 को बेदखल करने हेतु तिथि नियत की गई है। मौके पर अपीलार्थी के अरण्डी की फसल बोई हुई है, यदि अपीलाधीन निर्णय की आड में अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी एवं अपीलार्थी के अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 184(1) के अनुसार बेदखली की आज्ञा व डिक्री के निष्पादन में कब्जा किसी भी वर्ष में 15 अप्रेल के पहले अथवा तीस जून के बाद नही दिया जायेगा। इस प्रकार, कानून की स्थिति भी अपीलार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में होने से ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति एवं प्रभाव को स्थगित रखते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी धनाराम के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी ने अपने खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश करवाई एवं मौके पर हल्का पटवारी द्वारा आकर अडौस–पडौस के खातेदारों की उपस्थिति में अपीलार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 94 व 95 की सीमाज्ञान जानकारी हेतु खसरा संख्या 94 कुआं व खसरा संख्या 154 कुआ को स्थाई बिन्दु मानकर जीपीएस की सहायता से खसरा संख्या 95 की सीमा जानकारी करवाई गई। मौके अनुसार खसरा संख्या 95 (जो कि अप्रार्थी धनाराम के खातेदारी कृषि भूमि है) पर संलग्न नक्शें अनुसार आंशिक भूमि पडौसी खातेदार खसरा संख्या 93 दरजाराम पुत्र आलाजी कलबी का कब्जा पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी अप्रार्थी धनाराम के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 95 रकबा 0.5500 हेक्टेयर पर पडौसी खसरा संख्या 93 के खातेदारों के कब्जे काश्त में होना बताया गया है। अप्रार्थी धनाराम अनुसूचित जाति का खातेदार है एवं अपीलार्थी जो कि स्वर्ण जाति का सदस्य है ने अनुसूचित जाति के खातेदार की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए कब्जा सुपर्द करने के आदेश दिये है। अनुसूचित जाति के खातेदार की कृषि भूमि स्वर्ण जाति का कब्जा होने पर धारा 183 बी के अर्न्तगत संक्षिप्त जांच करने का ही प्रावधान है जिसकी पूर्ण पालना करते हुए अधीनस्थ [illegible] विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी [illegible] अप्रार्थी धनाराम जो कि अनुसूचित जाति [illegible] भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर [illegible] अप्रार्थी धनाराम को अपूरणीय क्षति [illegible] एवं विवादित भूमि अप्रार्थी धनाराम के .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:46 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 65/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

खातेदारी कृषि भूमि होने से सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अप्रार्थी धनाराम पुत्र उना जी, जाति– मेघवाल, निवासी– सियाकरा द्वारा अपीलार्थी दरजाराम व हल्का पटवारी, सनपुर के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी धनाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 95 के कुछ भूमि पर खसरा संख्या 93 के पडौसी खातेदार दरजाराम पुत्र आलाजी कलबी द्वारा किये गये कब्जे को बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी, सनपुर से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 19.9.2022 को निर्णय पारित किया है। अधनीस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का, सनपुर के खसरा संख्या 94 व 95 कुल किता 2 रकबा 2.26 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी धनाराम के खातेदारी कृषि भूमि है, जिसमें से खसरा संख्या 95 रकबा 0.5500 हेक्टेयर भूमि पर खसरा संख्या 93 के पडौसी खातेदार दरजाराम पुत्र आलाजी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी धनाराम के पक्ष है एवं यदि अप्रार्थी धनाराम को उसकी खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा सुपर्द नही होता है तो अप्रार्थी धनाराम को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:22:46 IST
Reason: SelfAttested